भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-414

उत्तर दिनांक - 27/11/2024 को दिया गया

परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011

414. श्री राव राजेन्द्र सिंह

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने संबंधित स्थायी समिति की कई दौर में की गई अनुशंसाओं को शामिल करने के पश्चात परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 तैयार करने की दिशा में प्रगति की है और यदि हां, तो क्या कोई समय-सीमा है जिसके भीतर इसे प्राप्त किया जाना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास एईआरबी के 1983 के संविधान में परिकल्पित सुपरिभाषित परमाणु सुरक्षा विकिरण नीति ढांचा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की उन अनुशंसाओं पर ध्यान दिया है जिनमें परमाणु विद्युत संयंत्रों के प्रचालन में मौजूद अनेक विसंगतियों के बारे में बात की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है जिसके भीतर राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र (रावतभाटा) की इकाई 7 और 8 का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) दिनांक 7 सितम्बर, 2011 को लोक सभा में नाभिकीय संरक्षा नियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक, 2011 विधेयक पेश किया गया था। हालांकि, 15$^{वीं}$ लोकसभा के संसद-भंग के कारण संशोधनों पर विचार नहीं किया जा सका। इसके बाद, एनएसआरए विधेयक, 2015 जो वास्तव में एनएसआरए विधेयक, 2011 है, पर कैबिनेट के लिए एक नोट, संशोधनों के साथ नए अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया गया। हालांकि, सचिवों की समिति ने विभाग को विधेयक को पुनः जांच करने की सलाह दी। इसलिए, विभाग ने पुनः जांच के लिए एक समिति का गठन किया और एनएसआरए विधेयक, 2015 को पेश करने की मंजूरी के कैबिनेट नोट को वापस ले लिया।

चूंकि नया एनएसआरए विधेयक अभी तक अपने प्रारंभिक चरण में भी नहीं है और कानून में शामिल कई औपचारिकताओं और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण, संसद में इसे फिर से पेश करने की समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) का अधिदेश संरक्षा नीतियां बनाना, संरक्षा मानक और आवश्यकताएं निर्धारित करना, सभी चरणों के लिए सहमति प्रदान करना और नाभिकीय संस्थापनाओं में अधिनियम और उसके नियमों के तहत प्रावधानों की निगरानी और उन्हें लागू करना और नाभिकीय संरक्षा पहलुओं को लागू करना है। एईआरबी के वर्ष 1983 के संघटन आदेश में की गई परिकल्पना के अनुसार नाभिकीय और विकिरण संरक्षा नीतियों के तत्वों को एईआरबी द्वारा जारी विभिन्न संरक्षा संहिताओं और मानकों में निहित किया गया। इन्हें समेकित कर जुलाई 2014 में "नाभिकीय और विकिरण संरक्षा के नियमन को नियंत्रित करने वाली नीतियां" नामक एक पृथक नीति दस्तावेज के रूप में जारी किया गया और यह एईआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के प्रचालन के संबंध में उच्च-स्तरीय संरक्षा समिति की सिफारिशों के अनुपालन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सिफारिशों के संबंध में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट एईआरबी द्वारा सीएजी को प्रस्तुत की गई। इन सिफारिशों का उद्देश्य एनपीपी प्रचालन की संरक्षा और निष्पादन बढ़ाना है। ये अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं और लाइसेंसिंग स्थितियों के अतिरिक्त हैं और ये संरक्षा से समझौता नहीं करते हैं। इन सिफारिशों के अनुपालन की प्रगति की एईआरबी द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है।

(घ) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना इकाइयां - 7 व 8 की इकाई 7 (2 x 700 मेगावाट) ने 19 सितंबर, 2024 को पहले ही क्रांतिकता हासिल कर ली है और इसके जनवरी, 2025 तक पूरा होने की आशा है। इकाई-8 के जनवरी, 2026 तक पूरा होने की आशा है।

*****